

0597430

# माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान

## Board of Secondary Education, Rajasthan



प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित  
Certificate with Mark-Sheet

उच्च माध्यमिक परीक्षा - 2023  
Senior Secondary Examination - 2023

नामांक Roll No.	केन्द्र Centre	जिला District	नियमित/स्वयंपाठी Regular/Private	श्रेणी Category	वर्ग का नाम Group Name	संदर्भ संख्या Ref. No.
3444056	24006	SRI GANGANAGAR	REGULAR	1	HUMANITIES	0833152

प्रमाणित किया जाता है कि  
This is to certify that  
माता का नाम  
Mother's Name  
पिता का नाम  
Father's Name

PRAYATANVEER SINGH

HARWINDER KAUR

KULWINDER SINGH

ने माह मार्च / अप्रैल 2023 में आयोजित उच्च माध्यमिक परीक्षा  
has appeared in March / April 2023 at the Senior Secondary Examination from  
(1240117) SETH GLB SD SR SS, SRI GANGANAGAR

से प्रविष्ट होकर निम्नांकित विषयों में दर्शाये गये अंको सहित उत्तीर्ण की :  
and was declared Pass with subject-wise marks mentioned below :

अनिवार्य/ऐच्छिक विषय Comp./Optional Subject	पूर्णांक (Max. Marks)		न्य.उत्ती. (Min. Pass Marks)		प्राप्तांक (Marks Obtained)				
	सैद्धा. (Th.)	सत्रांक प्रायो. (Sess.) (Pr.)	सैद्धा.+ (Th.)	सत्रांक प्रायो. (+Sess.) (Pr.)	सैद्धा. (Th.)	सत्रांक (Sess.)	योग (Total)	प्रायो. (Pr.)	योग (Total)
HINDI(COMP.)	80	20	33		49	20	69		069
ENGLISH(COMP.)	80	20	33		57	20	77		077
ECONOMICS	80	20	33		27	20	47		047
GEOGRAPHY	56	14	30	10	40	14	54	29	083D
PUNJABI-SAH.	80	20	33		37	20	57		057
कुल पूर्णांक Total Max. Marks	500		कुल प्राप्तांक Total Marks Obtained	333	66.60%	परिणाम Result	FIRST DIVISION		
अतिरिक्त विषय Additional Subject									
SOC.SER.PLAN. G.I.A.H-i	100			33					B 099

अजमेर  
AJMER

दिनांक  
DATE 25-05-2023


(विशेष विवरण हेतु कृपया पृष्ठ उलटिए)

  
मेघना चौधरी  
(Meghna Choudhary)  
सचिव  
Secretary

## विशेष विवरण

1. उच्च माध्यमिक परीक्षा में श्रेणी (Division) निर्धारण के लिये पूर्णांक 500 हैं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी (Division) में उत्तीर्ण होने के लिये क्रमशः 60,45 तथा 33 प्रतिशत अंक लाना आवश्यक है एवं प्रमाण-पत्र अंक-तालिका सहित में प्रतिशत (%) दर्शाये जायेंगे। विशेष योग्यता 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर ही केवल ऐच्छिक विषय/विषयों में दो जायेगी। परीक्षा श्रेणी (Category) 4 एवं 5 के परीक्षार्थियों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।
2. परीक्षा श्रेणी (Category) का तात्पर्य परीक्षा में सम्मिलित निम्न प्रकार के परीक्षार्थियों से है :-
 

(क) परीक्षा श्रेणी (Category) में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी	1
(ख) प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रमाणित होने वाले परीक्षार्थी	2
(ग) प्रत्येक प्रमाण-पत्र सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी	3
(घ) आधुनिक विषय/विषयों में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी	4
(ङ) प्राच्य भाषा में उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थी	5
(च) अंकों में सुधार हेतु एक या अधिक विषयों में (किन्तु सम्पूर्ण विषयों में नहीं) सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी	6
(छ) वर्ग (Group) परिवर्तन कर पुनः उसी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी	8
(ज) माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण आधारित N.C.V./I.I.T. में अध्ययनरत/उत्तीर्ण पश्चात उ.मा.की समकक्षता हेतु केवल अंग्रेजी में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी	9
3. प्राप्तांकों की निर्धारित अवधि में संवीक्षा (पुनर्गणना) का प्रावधान है। संवीक्षा (पुनर्गणना) में किसी भी अभ्यर्थी की उत्तर-पुस्तिका की पुनः जांच (Re-examination) करना समाविष्ट नहीं है। संवीक्षा के नियम/निर्देश बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
4. बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रलेखों की प्रविष्टि में हेरफेर अथवा रद्दोद्देश्य / ऊपरिलेखन करना दंडनीय कार्य है, ऐसा पाये जाने पर दोष की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. परीक्षा में प्रविष्ट होने के उपरान्त भी परीक्षार्थी प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रमाणित विषय में अनुपस्थित पाता है तो वह केन्द्राधीक्षक से उपस्थिति प्रमाणित करवाकर अधिकतम तीन माह की अवधि में बोर्ड कार्यालय की सूचित करे।
6. प्रतिलिपि प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित परीक्षार्थी को फोटो सहित नहीं दिया जायेगा।
7. अनिवार्य विषय के सम्मुख COM.P. अंकित किया गया है।
8. यदि परीक्षार्थी के नाम/पिता/माता के नाम उपयोग में सम्मिलित अपेक्षा है तो प्रमाणानुसार पारणाम घोषणा की तिथि से पांच वर्ष की अवधि में संशोधन की कार्यवाही करे। उसके पश्चात् संशोधन नहीं किया जायेगा।
9. संकेताक्षर (ABBREVIATIONS) :-
  - AA - अनुपस्थित
  - D - विषय में विशेष योग्यता
  - G - सानुग्रह अंक
  - \* - अंको में सुधार



**भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA**  
**अपोस्टिल / APOSTILLE**  
 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Country **REPUBLIC OF INDIA**

**This public document**  
**MARK SHEET**  
 has been signed by **SECRETARY**  
 acting in the capacity of **SECRETARY**  
 bears the seal/stamp of **SDM SHAHDARA NEW DELHI**

**Certified**  
 at **NEW DELHI, INDIA** the **28-Jun-2024**  
 by **SO (OI/Attestation) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS**  
 No. **RJJP0003187424**

is issued to **PRAYATANVEER SINGH**

**01 2291280**

प्रमाणित किया गया है कि प्रमाण-पत्र (स्पेलिंग) की शाला  
 रिकॉर्ड के अनुसार प्रमाणित है। (हस्ताक्षर नीचे किये  
 हुए हैं का प्रमाण) at NEW DELHI, INDIA the 28-Jun-2024  
 by SO (OI/Attestation) MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS  
 No. RJJP0003187424

परीक्षार्थी के नाम/पिता/माता के नामों में संशोधन (पंकज कुमार) केन्द्राधीक्षक के  
 प्रमाणित प्रतियां सहित प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रमाणित विषय में अनुपस्थित पाता है तो वह केन्द्राधीक्षक से उपस्थिति प्रमाणित करवाकर अधिकतम तीन माह की अवधि में बोर्ड कार्यालय की सूचित करे।  
 प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रमाणित विषय में अनुपस्थित पाता है तो वह केन्द्राधीक्षक से उपस्थिति प्रमाणित करवाकर अधिकतम तीन माह की अवधि में बोर्ड कार्यालय की सूचित करे।

नोट :- परीक्षार्थी के नाम/पिता/माता के नामों में संशोधन (स्पेलिंग) या उपनाम में शाला रिकॉर्ड से भिन्न पाये जाने पर संशोधनार्थ अपेक्षा है। प्रमाणानुसार मूल दस्तावेज व प्रमाणित प्रतियां सहित प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रमाणित विषय में अनुपस्थित पाता है तो वह केन्द्राधीक्षक से उपस्थिति प्रमाणित करवाकर अधिकतम तीन माह की अवधि में बोर्ड कार्यालय की सूचित करे।

परीक्षार्थी को यदि मूल प्रमाण-पत्र अंकतालिका सहित उक्त पृष्ठांकन के बिना दिया गया हो तो यह अमान्य होगा।